जिला कलैक्टर 89/17

अपील सूचना अधिकार संख्या 89/2017 अनवाची श्री पंकज दुग्गल निवासी मकान न0 891, वार्ड न0 13, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर बनाम बनाम लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26—12—2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री पंकज दुग्गल उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अतिरिक्त जिला मजि0 श्रीगंगानगर का पत्र सं0 10154—56 दिनांक 21.12.2017 शामिल पत्रावली किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री पंकज दुग्गल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 23.10.2017 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, प्र0अ0 न्याय शाखा कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः—

1. श्रीगंगानगर शहरी क्षेत्र में मंजूर शुदा सभी पेट्रोल पम्पो की सूची (नाम पता सहित) की प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. उपरोक्त सभी पम्पो को जारी अनुज्ञा पत्रों, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एनओसी व अन्य विभागीय स्वीकृतियों की प्रमाणित प्रति अवलोकन हेतु।
3. उपरोक्त सभी पम्पों के नक्शे, मौके, नाप व अन्य सलंग्न दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतिलिपि अवलोकन हेतु।
4. उपरोक्त सभी पम्पो द्वारा अनुज्ञापत्र, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट व अन्य विभागीय स्वीकृतियां प्राप्त करने हेतु दिए आवेदन व आवेदन संबंधित सलंग्न समस्त दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतिलिपि अवलोकन हेतु।
5. उपरोक्त सभी पम्पों को पुलिस विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट एनओसी व अन्य अनुमतियो की प्रमाणित प्रति अवलोकन हेतू।
6. पेट्रोल पम्पों के संचालन के लिए ली जाने वाली अनुमतियों, अनुज्ञा पत्रों व रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की प्राप्ति हेतु सलंग्न किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेजो की सूचि की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी ने यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के दिनांक 23.10.2017 के आवेदन पत्र से जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय श्रीगंगानगर से 6 बिन्दुओ की सूचना चाही थी। बिन्दु संख्या 1 से 4 व 6 की सूचनांओ के लिए उनके द्वारा उसका आवेदन पत्र दिनांक 24.10.2017 को जरिये क्रमांक 2352—53 से अति0 जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को भिजवा दिया और सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा दिनांक 30.10.2017 को जरिये क्रमांक 2121 से न्याय शाखा, जिला कलक्टर कार्यालय को भिजवाया गया। निर्धारित समय अवधि व्यतीत हो जाने पर भी न्याय शाखा, जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है जो उसे उपलब्ध करवाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र सं0 10154 दिनांक 21.12.2017 से अपीलार्थी को उत्तर भिजवाते हुए उक्त उत्तर की प्रतिलिपि इस कार्यालय को पत्र सं0 10155—56 दिनांक 21.12.17 से प्रेषित की है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र सं0 10154 दिनांक 21.12.2017 द्वारा अपीलार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई हैः—

श्रीगंगानगर
41/17

क्र.सं.	बिन्दु	जबाब
1.	श्रीगंगानगर शहरी क्षेत्र में मंजूर शुदा सभी पेट्रोल पम्पो की सूची (नाम पता सहित) की प्रमाणित प्रतिलिपि।	बिन्दु सं0 1 से 5 में चाही गई सूचना के संबंध में लेख है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना से तात्पर्य विभाग में संधारित अभिलेख से संबंधित है। प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र दिनांक 16.12.11 के अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सर्जित करना सूचना के अधिकार के दायरे में नही आता। सूचना उसी रूप में दी जा सकती है जिस रूप में विभाग में संधारित है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र 10 जुलाई, 2009 के अनुसार सूचना उसी रूप में प्रदान की जा सकती है जिस रूप में प्राधिकरण के पास उपलब्ध तथ्यो को खोजकर खोजे गये तथ्यो को संकलन कर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना का अधिकार के अन्तर्गत नही आता है। अतः आप द्वारा चाही गई सूचना विस्तृत है जिसे उपलब्ध करवाने में लोक प्राधिकरण के संसाधनो को अनुपातिक रूप से विचलन होता है। अतः धारा 7(9) के तहत सूचना उपलब्ध नही कराई जा सकती है।
2.	उपरोक्त सभी पम्पो को जारी अनुज्ञा पत्रों, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एनओसी व अन्य विभागीय स्वीकृतियों की प्रमाणित प्रति अवलोकन हेतु।	
3.	उपरोक्त सभी पम्पों के नक्शे, मौके, नाप व अन्य सलंग्न दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतिलिपि अवलोकन हेतु।	
4.	उपरोक्त सभी पम्पो द्वारा अनुज्ञापत्र, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट व अन्य विभागीय स्वीकृतियां प्राप्त करने हेतु दिए आवेदन व आवेदन संबंधित सलंग्न समस्त दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतिलिपि अवलोकन हेतु।	
5.	पेट्रोल पम्पों के संचालन के लिए ली जाने वाली अनुमतियों, अनुज्ञा पत्रों व रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की प्राप्ति हेतु सलंग्न किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेजो की सूचि की प्रमाणित प्रतिलिपि।	

अपीलार्थी के सूचना अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांए निश्चित नही है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। **सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। सूचना एकत्रित कर उपलब्ध करवाना ऐसा कार्य है जो कार्यालय के संसाधनो को अनुपातिक रूप से विचलित करता है जो सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(9) के तहत सूचना उपलब्ध करवाया जाना वर्जित है।** इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला मजि0 श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उत्तर दिनांक 21.12.2017 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, अति0 जिला मजि0 श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

2245-46
02.01.18

यह आदेश आज दिनांक 26.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)

जिला कलैक्टर